

**न्यायालय, समाहर्ता-सह-जिला दण्डाधिकारी, खगड़िया।**

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख एक्ट, 1946 का नियम 139)

आदेश पत्रक-ता०.....से.....

जिला-खगड़िया....., सा०....., सन्.....

केस का प्रकार:- बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत जप्त विदेशी शराब को विनष्ट करने के संबंध में। वाद संख्या:- 142/2017 *2157 धमा/स 2023/स 2157*

दिश की क्रम 1) और तारीख 1.	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	आदेश पत्र की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख-सहित 3.
----------------------------------	--	--

19.12.2017

बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम-2016 की धारा 30(ए) के तहत खगड़िया थाना में दर्ज कांड संख्या-448/2017 दिनांक 27.06.2017 में जप्त किये गए विदेशी शराब के विनष्टीकरण हेतु अनुसंशा पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के पत्रांक 4103/हि०शा० दिनांक 28.11.2017 द्वारा प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के साथ संलग्न थानाध्यक्ष, खगड़िया का प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि जप्त की गई कुल-200 एम०एल० का 65 पाउच देशी मशालेदार शराब कुल मात्रा में से 200 एम०एल० का 06 पाउच माननीय विशेष न्यायालय के आदेशानुसार जाँच हेतु रसायन परीक्षक बिहार पटना एवं 06 पाउच देशी शराब अधीक्षक उत्पाद, खगड़िया को भेज दिया गया है, जबकि शेष-200 एम०एल० का 53 पाउच देशी मशालेदार शराब खगड़िया थाने के मालखाना में रखा गया है।

पुलिस पदाधिकारी ने यह भी प्रतिवेदित किया है कि थाने में रखी गई शराब का दुरुपयोग किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में इसे लंबे समय तक जमा रखना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सर्वथा अनुपयुक्त है।

अतएव प्राप्त प्रस्ताव/प्रतिवेदन पर सम्यक विचारोपरान्त बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम-2016 की धारा-57 में वर्णित शक्तियों का प्रयोग करते हुए खगड़िया थाने के मालखाना में रखी गई कुल-200 एम०एल० का 53 पाउच देशी मशालेदार शराब कुल-10,600 लीटर विनष्ट करने का आदेश दिया जाता है। अधीक्षक उत्पाद, खगड़िया अपने देख-रेख में निर्धारित प्रक्रियों का पालन करते हुए खगड़िया थाना कांड संख्या-448/2017 के आधार पर जप्त की गई कुल-10,600 लीटर देशी मशालेदार शराब को विनष्ट करते हुए तत्संबंधी प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में समर्पित करेंगे।

इस आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक, खगड़िया/थानाध्यक्ष, खगड़िया /उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ भेजी जाय।


लेखापित एवं संशोधित

समाहर्ता, खगड़िया।



समाहर्ता, खगड़िया।

*for file  
02/12/17*

आदेश की क्रम सं० और तारीख 1.	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख-सहित 3.
	<p>डी० बी० नं०.....<u>149</u>...../विधि, दिनांक <u>30/12/2017</u>  प्रतिलिपि:-पुलिस अधीक्षक, खगड़िया/थानाध्यक्ष खगड़िया  /अधीक्षक उत्पाद, खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।</p> <p style="text-align: right;">   प्रभारी पदाधिकारी  जिला विधि शाखा,  खगड़िया।  <u>30/12/17</u> </p>	